कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी–18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा–डी–तीन–6174/ 5303

सेवा में

दिनांक: 10-12-15

वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल,
हिसार ।

विषय: Diversion of 0.011 ha. of forest land for access to retail outlet of I.O.C. Ltd. along Hisar-Tohana road, (SH 17) R/side, at Village Bithmara, under forest division and District Hisar, Haryana. Online Proposal No. FP/HR/Others/8054/2014

उपरोक्त विषय पर प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वन विभाग, चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक 769-व–5–2015/19059 दिनांक 18–11–2015 (प्रति संलग्न) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अधीन जारी स्वीकृति शर्तों के दृष्टिगत इस प्रस्ताव में बाधक 1 वृक्ष (वाल्युम 1.13 m^3) को कटवाने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा की अनुमति प्रदान की जाती है ।

संलग्न/उपरोक्त ।

नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ0सी0)
कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला ।

ok
9-12-15

पृ0क्रमांक: प्रशा–डी–तीन–6174/5304-05 दिनांक: 10-12-15

एक प्रति :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड, पंचकुला को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
2. व0म0अ0, हिसार को अनुलग्नक की प्रति सहित आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न/उपरोक्त ।

नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ0सी0)
कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला ।

ok
9-12-15

D III - 6174
HIDGM

95

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

सेवा में

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकूला।

यादि क्रमांक 769—व—5—2015/ 19059
चण्डीगढ़ दिनांक 18/11/2015

विषयः **Diversion of 0.0011 ha. of forest land for access to retail outlet of I.O.C. Ltd. along Hisar-Tohana road, (SH 17) R/side, at village Birthmara, under forest division and District Hisar, Haryana. (6174).**

संदर्भः— आपका पत्र क्रमांक डी—ााा—6174/4542, दिनांक 30.10.2015.

93

कृपया उपर्युक्त विषय पर आप द्वारा संदर्भाधीन पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. विभाग के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त विषय हेतू **0.0011 ha.** वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान की जाती हैः—

(i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

(ii) प्रस्ताव के अनुसार इस स्कीम में 01 वृक्ष बाधक है। अतः 01 वृक्ष से अधिक वृक्ष काटे नही जायेगें।

(iii) प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार **P.F.Pali** पर प्रयोक्ता एजैन्सी से प्राप्त 27144/—रू(**Twenty Seven thousand one hundered forty four only.**) की राशि से 22 पौधे लगा कर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधरोपण इस पत्र के साथ जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर— हो जाना चाहिए।

(iv) प्रतिपूर्ति पौधारोपण के साथ—साथ उपयुक्त पौधारोपण पहुच मार्ग, विभाजन द्वीप व अन्य खाली स्थान पर प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वर्तमान विनियमो के अनुसार किया जायेगा।

(v) प्रवेश एवं निकास को छोड कर बाकी हिस्से पर कुछ बुटेदार तथा सजावटी पेड पौधे लगाये जाने चाहिए तथा इस भूमि का कोई व्यापारिक प्रयोग नही होना चाहिए और न ही इस पर कोई निर्माण कार्य होना चाहिए।

(vi) इस प्रस्ताव को 15 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति राज्य सरकार से प्राप्त करनी होगी।

(vii) पर्यावरण एव वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11.07.2014 को जारी दिशा—निर्दोशो का पालन अवश्य किया जायेगा।

(viii) पेट्रोल पम्प की पूरी परिधि (**Periphery**) पर दिवार से 1.5 मीटर जगह छोडकर 1.0 से 1.5 मीटर के अन्तराल पर **Light Crown** पेडो का वृक्षारोपण किया जाये।

(ix) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।

(x) **Supreme Court** के आदेशानुसार जब कभी भी **NPV** की राशि बढाई जायेगी तो उस बढी हुई **NPV** की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजैन्सी बाध्य होगी।

(xi) साथ लगते वन और वन भूति को किसी तरह का कोई नुकसान नही पहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किये जायेगें।

(xii) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजैन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नही किया जायेगा।

(xiii) राज्य सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नही जायेगा।

(xiv) वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नही लगाया जायेगा।

(xv) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे जिसके लिए प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वर्तमान दरो पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

2512
19/11/15

N.T.
3/19/11

97

(xvi) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा श्रमिको तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईन्धन उपलब्ध करवायेगी ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।

(xvii) प्रयोक्ता एजैन्सी राज्य के मुक्ष्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणि समहू के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।

(xviii) स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये कम संख्या वाले 4 फिट उचे सीमेंट के खम्बो द्वारा चिन्हित की जायेगी।

(xix) कूडा र्क्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।

(xx) अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवो के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय–समय पर लगाई जा सकती है।

(xxi) प्रयोक्ता एजैन्सी उपरोक्त शर्तो की वार्षिक स्व–अनुपालना रिपोर्ट प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा को नियमित रूप से भेजेगी।

(xxii) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेने विभाग की जिम्मेवारी होगी।

विशेष सचिव,
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग ।

प्रतिलिपिः–

1. वन संरक्षक (केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, बेज नं0 24–25, सैक्टर–31–ए, चण्डीगढ़ ।
2. वन मण्डल अधिकारी, हिसार।